न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर पीठासीन अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा RAS

राजस्व वाद संख्या 15 / 2019

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

वादी	प्रतिवादी
धनराज पुत्र नेमाराम कौम कलबी, निवासी भाद्राजून, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

दावा बाबत् नाम की घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995

उपस्थिति :– **श्री. सुरेश कुमार वकील वादी**

तहसीलदार आहोर प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांक :– ....18.. / 10 / 2019

वादी द्वारा दावा बाबत् नाम की घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा भाद्राजून, पटवार क्षैत्र भाद्राजून, तहसील आहोर जिला जालौर में स्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तनाम खसरा नम्बर निम्न प्रकार प्रकार है ।

खसरा नम्बर	रकबा(हैक्टर)	किस्म
1013	0.95	सेवज दोयम
1110	1.07	सेवज प्रथम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर जिला-जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

1199	2.21	सेवज दोयम
1742	0.44	सेवज दोयम
1743	0.40	सेवज दोयम
1744	1.38	सेवज दोयम
2945 / 1652	0.51	सेवज दोयम

कुल खसरा न.–07 कुल रकबा 6.96 हैक्टर किस्मानुसार

उपरोक्त खसरा नम्बर की आराजी वादी की शामलाती खातेदारी आई हुई है, वादी द्वारा केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम धुकाराम पुत्र नेनाराम के स्थान पर धनराज पुत्र नेनाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु दावा नाम की घोषणा का पेश किया है, वादी का नाम सहीं एवं वास्तविक व निजी दस्तोवजात् में दर्ज नाम के अनुसार उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में धुकाराम पुत्र नेनाराम, के स्थान पर धनराज पुत्र नेनाराम के नाम की घोषणा की जावें। वादी का वास्तविक नाम धनराज ही है एवं धुकाराम व धनराज एक ही व्यक्ति है। सबुत हेतु वादी ने अपने निजी दस्तावेजात् यानि आधार कार्ड, भामार्शाह कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशनकार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान कार्ड, ईत्यादि दस्तावेजो में वादी धनराज पुत्र नेनाराम ही नाम दर्ज है।

अतः श्रीमान के न्यायालय में नाम की घोषणा का वाद म्य शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा भाद्राजून, के वर्तमान खसरा नम्बर 1744, 1013, 1110, 1199, 1742, 1743, 2945 / 1652 कुल रकबा 6.96 हैक्टर की आराजी में वादी का नाम मिस्टेक त्रुटिवंश वर्तमान राजस्व रेकर्ड में धनराज पुत्र नेनाराम के स्थान पर धुकाराम पुत्र नेनाराम, दर्ज कर दिया है इस कारण नाम में दुरूस्ती कर वादी का नाम धनराज पुत्र नेमाराम दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर
सत्यमेव जयते
जिला-जालोर (राज.)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

तथा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार आहोर पर आदेश प्रदान करावें।

वादी द्वारा वाद पत्र म्य शपथ पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर जरिये नोटिस के प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया की सरहद मौजा भाद्राजून, के वर्तमान खसरा नम्बर 1744, 1013, 1110, 1199, 1742, 1743, 2945/1652 कुल रकबा 6.96 हैक्टर में वादी धनराज की बजाय रेकर्ड में धुकाराम दर्ज हुआ है, इस कारण वादी द्वारा पेश दस्तावेजो के आधार पर नाम दुरूस्त कर धनराज किया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार दस्तावेजो के आधार पर दावा डिक्री फरमावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान दस्तावेज फहरिस्त के साथ आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशनकार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान कार्ड, ईत्यादि दस्तावेज पेश किये जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी द्वारा कथन किया गया कि राजस्व रेकर्ड में वादी स्वम् का नाम धुकाराम के स्थान पर धनराज दर्ज करवाना चाहता हूँ वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो को पेश कर वादी का नाम दुरूस्त किये जाने में सहमति व्यक्त की है। अतः दावा डिक्री फरमाते हुये वादी का नाम धनराज दुरूस्ती का आदेश फरमावें। प्रतिवादी संख्या 01 राज्य पैरोकार उपस्थित। जिन्होने कथन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, शपथ पत्र, अन्य दस्तावेजो की प्रस्तुत छाया प्रतियो के अनुसार वादी का नाम धुकाराम नहीं हो कर धनराज होना सिद्व हो रहा है। तथा सभी तथ्यो के आधार पर वादी का नाम धनराज दुरूस्त किया जाता है तो राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होना। और कोई नई बात नहीं कहीं।

हमने सम्पूर्ण प्रत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दूओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार वादी अपना नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर जिला-जालोर (राज.)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

Scanned by CamScanner

धनराज सिद्व करने में सफल रहने से दावा वादी स्वीकार किया जा कर नाम दुरूस्त किया जाने योग्य प्रतीत हो रहा है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा भाद्राजून, के खसरा नम्बर 1744, 1013, 1110, 1199, 1742, 1743, 2945/1652 कुल रकबा 6.96 से सम्बधित राजस्व रेकर्ड में दर्ज सह–खातेदार धुकाराम पुत्र नेमाराम के स्थान पर धनराज पुत्र नेमाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आहोर माफिक निर्णय राजस्व रेंकर्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। प्रत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

प्रशान्त शर्मा RAS
सहायक कलेक्टर (एफ.टी.सी.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner